स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम: - "प्रयास" विकासखंड व तहसील कोराव
2. संस्था का पूरा पता: -ग्राम जोरवट पोस्ट खीरी जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र:- संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य: -
   1. हिंदी / अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने तथा प्रचार-प्रसार हेतु बालक एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं शिक्षित करना तथा अभिभावकों बच्चों तथा शिक्षकों के विचारों को उचित पहचान एवं सम्मान देना | बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना एवं बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना | बच्चों में भौतिक नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा का विकास करना तथा उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाना |
   2. बालश्रम उन्मूलन हेतु कार्य करना महिला साक्षरता हेतु कार्य करना । एकीकृत कृषि का प्रचार प्रसार करना । नशा उन्मूलन हेतु कार्य करना । ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसार करना ।
   3. वृद्धों के उत्थान एवं संरक्षण हेतु कार्य करना ।
   4. निर्धन तथा असहाय छात्र-छात्राओं एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग आज की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबंध करने करके ग्राम उद्योगों की स्थापना करना ।
   5. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम महिलाओं को विभिन्न रोजगार परक शिक्षण देना महिलाओं को उनके अधिकारों निशुल्क परिवार नियोजन निशुल्क देखभाल शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आहार आर्थिक नियोजन आदि से संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिए ग्रामोद्योग की स्थापना में सहायता प्रदान करना ।
      महिलाओं से संबंधित समस्याओं जैसे बाल विवाह दहेज तलाक, विधवा जीवनयापन, महिला रोजगार इत्यादि के संबंधित में कल्याणी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।महिला जागरूकता शिविर अनौपचारिक शिक्षा आंगनवाड़ी पूर्व माध्यमिक शिक्षा निराश्रित महिला आवासीय केंद्र तथा इसी प्रकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास की अन्य योजनाओं का भी क्रिया वर्णन करना महिलाओं एवं बच्चों के हितों पर सेमिनार कार्यशालाये प्रशिक्षण शिविर प्रदर्शिनी आदि का आयोजन करना ।
   6. शिक्षण प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य संबंधित मानव समुदाय विशेषता निर्मल एवं शोषित वर्ग के पुरुष महिलाओं एवं बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण और सेवा कार्य को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाएं जैसे स्कूल कॉलेज मदरसा व्यवसायिक प्राकृतिक तकनीकी साहित्य संस्कृति कीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा संस्था निशुल्क चिकित्सालय औषधालय परिवार कल्याण केंद्र स्वास्थ्य केंद्र पुस्तकालय आज की स्थापना प्रबंधक एवं संचालित तथा तत्त संबंधी सेवाओं का निशुल्क क्रियान्वयन करना ।
   7. ग्राम्य विकास विशेष कर भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों अनुपजाऊ बंजर, सुखा या बाढ़ ग्रस्त, भूकंप प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहित करना एवं जागरूकता में वृद्धि करना । ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों को प्राथमिकता दे देते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास ग्राम्य तकनीकी विकास त्वरित ग्राम्य पेयजल आपूर्ति ग्राम्यविकास कार्यक्रम ग्राम्य औद्योगीकरण प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा जैसे योजना बंजर भूमि का विकास अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी वर्ग अल्पसंख्यकों के कार्यकारिणी कार्यक्रम बंधुआ मजदूरों का अवमुक्ति करण एवं पुनर्वास तथा शिक्षा एवं पेयजल आपूर्ति ग्राम्यस्वच्छता विकास भोजन आदि सुलभ शौचालय निशुल्क स्वास्थ्य एवं पाठशाला भवन व्यायाम शाला पुस्तकालयों इत्यादि योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विकास इनका क्रिया वर्णन शिक्षण एवं मूल्यांकन करना ।
   8. समुदायिक कल्याण परियोजनाओं कार्यक्रमों का विकास कियान्वयन एवं मूल्यांकन, मानव समुदाय विशेषकर समाज के दलित एवं निर्बल वर्ग के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण संबंधी परियोजनाओं का विकास, उससे संबंधित कार्यक्रमों का निरूपण, कियान्वयन एवं मूल्यांकन करना । इसी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति में कार्यकर्ता संस्थाओं संगठनों एजेंसियों केंद्र राज्य तथा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहयोग करना ।
   9. पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना । पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में समस्या ग्रस्त एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए परियोजनाये तैयार करना । इनका

1) महेन्द्र कुमार मिश्रा

2) [illegible] 3) 4) Puskar

9. पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना । पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में समस्या ग्रस्त एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए परियोजनाये तैयार करना । इनका कियान्वयनकरना तथा इससे संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाये, प्रदर्शनी, शोध मूल्यांकन सर्वेक्षण इत्यादि की व्यवस्था करना । प्रचार प्रसार करना जागरूकता विधि आदि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना पर्यावरण चेतना पर्यावरण शिक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रों की स्थापना करना तथा प्रबंध करना ।

10. पुनर्वासयोजनाओं का कियान्वयननिर्बल एवं दलित वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देते हुए कामकाजी महिलाओं एवं बच्चों के लिए हॉस्टल निराश्रित असहाय विधवा महिला के लिएपुनर्वासकेंद्र के रूप में आवासीय व्यवस्था में सहयोग करना । समाज के उपेक्षित तबके जैसे कुछ या कुष्ठ रोगियों मंदबुद्धि वेश्याओं भिखारियों सजा काट चुके मुक्त बंधुओं बाल अपराधियों आदि के कल्याण प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा एवं पुरवा संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

11. <u>जीव जंतु एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण</u>– जीव- जंतु, वन्य प्राणियों एव दुर्लभ प्रजातियों के हितो के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना , इससे संबंधित परियोजनाओं को विकास सर्वेक्षण शोध करना तथा इसका प्रकाशन करना । जनसाधारण में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता और महत्व का प्रचार करना । जीवजंतुओं की दुर्लभप्रजातियों के संरक्षण और संग्रहको प्रोत्साहन देना तथा इन पर कार्यशाला ए प्रदर्शनी सेमिनार तथा विशेष परियोजनाओं का संचालन करना ।

12. <u>नशा उन्मूलन कार्यक्रम</u>- जनसाधारण धूम्रपान ड्रग एडिक्शन आदि से बचने के लिए प्रभावी जागरूकता फैलाना तथा इसके निषेध को प्रभावी करना। जनसाधारण में इनके कारण होने वाले नुकसान का आकलन एवं सर्वेक्षण करना तथा जनहित में इसका प्रकाशन करना । नशे से लत छुड़ाने के लिए चिकित्सा केंद्र एवं अस्पतालों की निशुल्क स्थापना करना तथा नशे को छोड़ चुके लोगों केपुनर्वास की व्यवस्था करना तथा ऐसे आवासीयकेन्द्रों की व्यवस्था करना जहां इनकी उचित देखभाल हो सके । इस संबंध में सेमिनार प्रदर्शनी कार्यशाला आदि का आयोजन करना ।

13. <u>निशुल्क स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना</u>– निशुल्क स्वास्थ्य एवं सफाई की आधुनिक सुविधा जनसाधारण को उपलब्ध कराना । ग्रामीण स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना तथा संचालन करना । निशुल्क परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम का संचालन तथा इस संबंध में जन साधारण में जागरूकता फैलाना गंभीर बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर, चेचक, पोलियो, निर्जलन, मलेरिया चेचक, प्लेग के उनमूलन के उपायों को राज्य केंद्र एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सको की सहायता करना । इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन करना । रक्तदान नेत्रदान टीकाकरण तथा नसबंदी शिविरों का निशुल्क आयोजन प्रशिक्षण डॉक्टरों की देखरेख में करना ।

14. <u>साहित्यिक एवं संस्कृति गतिविधियां</u>– जनसाधारण में प्रचलित विभिन्न साहित्यिक विधाओं का संरक्षण और संवर्धन करना तथा इस प्रकार के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नाटक नौटंकी शास्त्रीय संगीत कवि सम्मेलन मुशायरा कठपुतली थियेटर गजल गीत आदि को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना ।

15. <u>खादी ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देना</u>- खादी ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना तथा प्रशिक्षण देनाखादी ग्रामोदय एवं हस्तशिल्प केंद्रों की स्थापना करना तथा इस संबंध में जन चेतना का प्रसार करना ।

16. <u>आपातकालीन विपदा के समय त्वरित सहायता</u>- राष्ट्रीय संकट भूकंप, बाढ़, सूखा, मार्ग दुर्घटना गृह युद्ध इत्यादि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सेवकों को तैयार करना उन्हें प्रशिक्षण और कार्य शालाओं के द्वारा इन परिस्थितियों में सक्षम बनाना किसी भी परिस्थितियों में सरकार का सहयोग करना तथा संस्थाओं और स्वैच्छिक आधार पर सेवा उपलब्ध कराना । सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर जनहित में सेवा कार्य करना आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

17. <u>आर्थिक सहायता प्राप्त करना</u>- जनप्रिय सेवा स्थापना ग्राम समाज निगमों स्वायत्तशासी संस्थाओं-बैंको, सरकारी समितियों, सरकारी बिभागो उत्तर प्रदेश खादीएवं ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन भूमि भवन दान चंदा तथा अन्य सहायता, ऋण अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना ।

18. <u>राष्ट्रीयता का प्रचार- प्रसार</u>- भारतीयों में राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम का अलग जगाना देश की राज व्यवस्था संवैधानिक अधिकारों मानव अधिकारों तथा विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दे देना अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण हेतु

महेन्द्र कुमार मिश्रा

2) [illegible]   3)   4) Puskar

कानूनों नागरिकता के कर्तव्यों निष्पक्ष मतदान चुनावी प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षता जातीय भाषाई और क्षेत्रीय एकता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना । रक्तदान नेत्रदान नशाबंदी एड्स जैसे मुद्दों पर लोगों को जागृत करना ।

19. प्रबंधकरिणी के पदाधिकारियों एवं संस्था सदस्यों के नाम पता एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियम अनुसारकार्यभार सौंपा गया है

क्र॰	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१	प्रो॰ जगदीश प्रसाद द्विवेदी	कोनी पोस्ट पडरी रीवा म॰ प्र॰	अध्यक्ष	सेवानिवृत्त प्रचार्य उ॰ शि॰ म॰ प्र॰
२	डॉ॰ चंद्रमा प्रसाद मिश्र	नारीबारी प्रयागराज उ॰ प्र॰	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी उ॰ प्र॰
३	महेंद्र कुमार मिश्र	जोरवट खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	प्रबन्धक	शिक्षक केंद्रीय विद्यालय संगठन
४	कृष्णकली चतुर्वेदी	नारीबारी प्रयागराज उ॰ प्र॰	कोषाध्यक्ष	गृहणी
५	हिन्छ नारायण पाण्डेय	बहरैचा खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	सेवानिवृत्त प्रवक्ता
६	लालता प्रसाद चतुर्वेदी	बरेठी मांगी रीवा म॰ प्र॰	सदस्य	कृषि
७	राधेश्याम द्विवेदी	जोरवट खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	सेवानिवृत्त शिक्षक
८	ओमकार नाथ द्विवेदी	खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	सेवानिवृत्त शिक्षक
९	पुष्कर नाथ मिश्र	जोरवट खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	फार्मेसिस्ट
१०	रमेश कुमार द्विवेदी	नीबी लेडियारी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	एडवोकेट
११	श्याम बिहारी गुप्ता	जोरवट खीरी प्रयागराज उ॰ प्र॰	सदस्य	व्यापार

20. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता उपरोक्त समिति पत्र के अनुसार संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21 सन 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

1. महेन्द्र कुमार मिश्र
2.
3.
4. कृष्णकली
5. हिन्छ नारायण पाण्डेय
6 लालताप्रसाद चतुर्वेदी
7.
8. ओमकार नाथ द्विवेदी
9. Puskar
10.
11. श्यामबिहारी गुप्ता

नियमावली

1. संस्था का नाम - "प्रयास" विकासखंडव तहसील कोरांव
2. संस्था का पता -ग्रामजोरवट पोस्ट खीरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य - स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यताएव सदस्योंके वर्ग

1. **संरक्षक/ आजीवन सदस्य**जीन सदस्यों द्वारा संस्था की स्थापना हो रही है वस्मृति पत्र में हस्ताक्षर बनाए गए हैं वही संस्थापन आजीवन होंगे तथा हस्ताक्षर करने वाले सदस्य एवं पदाधिकारी करने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकते हैं। उत्तराधिकारी चुने जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी आजीवन सदस्यता जमा कर दी है यही आजीवन स्थापना होंगे।
2. **सामान्य सदस्य-**
   संस्था को प्रति वर्ष अप्रैल माह के में ₹101 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने को सामान्य सदस्य बनाया जाएगा ।
3. **सदस्यता की समाप्ति:**
   1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर
   2. दिवालिया होने पर
   3. किसी न्यायालय द्वारा दंडित होने पर
   4. संस्था के नियम का पालन न करने पर
   5. लगातार तीन बैठकों को अनुपस्थितिरहने पर
   6. त्यागपत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर
   7. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर
   8. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी ।

संस्था के दो अंग होंगे-

1. साधारण सभा
2. प्रबंधक कारिणी समिति

6. साधारण सभा

(अ) गठन

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलकर साधारण सभा का गठन किया जाएगा |

(आ) सूचना अवधि

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व के सदस्यों को लिखित रूप में दी जाएगी ।

(इ) गणपूर्ति

महेन्द्र कुमार मिश्र

1) 2) कृष्णकान्ती 3) 4)

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबंध नहोगा लेकिन एजेंडा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे

(ई) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जाएगा व जिसकी तिथि समिति द्वारा तय कर ली जाएगी।

(उ) साधारण सभा के कर्तव्य

1. 5 वर्ष के लिए प्रबंध कारिणी समिति का चुनाव करना
2. वार्षिक आय व्यय बजट का पारित करना
3.नियमो व विनियमों में 3/5 के बहुमत में संशोधन कार्रवाई करना

7. प्रबंध कारिणी समृति-

(अ) गठन प्रबंध कारिणी समिति का गठन साधारण किया जाएगा । जिससे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक, कोषाध्यक्ष एवं 7 सदस्य इस प्रकार कुल 11 व्यक्तियों की प्रबंध कारिणी समिति होगी ।

(ब) बैठकप्रबंध कारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में 2 व विशेष बैठक को आवश्यकतानुसार कभी भी भुलाया जा सकता है ।

(स) सूचना अवधि सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व के सदस्यों को लिखित रूप में दी जाएगी ।

(द) गणपूर्ति साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबंध न होगा लेकिन एजेंडा के विषय पूर्वत ही रहेंगे ।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबंध कारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबंध कारिणी समिति के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिए कर ली जाएगी।

(र) प्रबंध कारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार

1. संस्था का प्रबंध कार्य करना
2. वार्षिक कार्यक्रमों के रूप रेखा तैयार कर लागू करना ।
3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना
4. संस्था की समस्त चल व अचल संपत्ति पर नियंत्रण रखना
5. संस्था के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में चल एवं अचल संपत्ति का क्रय विक्रय एवं ऋण लेने व उसकी अदायगी का अधिकार प्रबंध समिति का होगा ।

(ल) कार्यकाल

प्रबंध कारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

8 प्रबंध कारिणी समिति में पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

(अ) अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना

महेन्द्र कुमार मिश्रा

1) 2) [signature] 3) 4) Puskar

2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना
3. समान मत होने पर अपने एक निर्णय मत का प्रयोग करना
4. समय-समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना
5. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना
6. त्याग पत्रों को स्वीकार करना

(ब) उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को संपादित करना और सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना

(स) प्रबंधक

1. संस्था की ओर से समस्त बिलों , बाउचरों पर हस्ताक्षर करना

2. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन कराना

3. संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में करना

4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान चलव अचल संपत्ति प्राप्त करना

5. प्रबंधक समिति द्वारा समय-समय परप्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना

6. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन वेतन, वृद्धि वेतन वितरण करना

7. संस्था की समिति चल व अचल संपत्ति पर नियंत्रण करना व समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना (द) कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक आय-व्यय का वितरण तैयार करना

2. आय व्यय संबंधी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना

3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना

4. हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना

5.₹200 से अधिक धन को बैंक भेजना

9.संस्था के नियमों वविनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियम व भी विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जाएगा 10 . **संस्था का कोष**

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम का खाता खोल कर जमा किया जाएगा जिसका आहरण प्रबंधक के हस्ताक्षर से किया जाएगा

11 . **संस्था लेखा परीक्षण**

संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा

महेन्द्र कुमार मिश्रा
2) [illegible] 3) 4) Puskar

12. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्रवाई के संचालन का उत्तरदायित्व**

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्रवाई का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति पर होगा

13. **संस्था के अभिलेख**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. एजेंडा रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कार्रवाई रजिस्टर
5. कैशबुक
6. लेजर, वाउचर
7. अन्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार

14. **विघटन**

संस्था काविघटन तथाविघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्रवाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के 21, 1860 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अंतर्गत किया जाएगा

15. विद्यालय की सी० बी० एस० ई० मान्यता के लिएकुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिसमे कुछप्रावधानों को उपरोक्त नियमावली में जोड़ना है जो की निम्नवत है ।

(क) विद्यालयकीपंजीकृतसोसाइटीकासमय-समय परनवीनीकरणकरायाजायेगा।

(ख) विद्यालयकीप्रबन्धसमितिमेंराज्यसरकारकेजिलास्तरकेकिसीअधिकारीकोसंस्थाद्वारा सदस्यकेरूपमेंनामितकियाजायेगा।

(ग) विद्यालयमेंकमसेकम 10प्रतिशतस्थानअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजातिकेमेधावीबच्चोंकेलिएसुरक्षितरहेंगे औरउनसेउत्तरप्रदेशमाध्यमिकशिक्षापरिषद/बेसिकशिक्षापरिषदद्वारासंचालितविद्यालयों मेंविभिन्नकक्षाओंकेलिएनिर्धारितशुल्कसेअधिकशुल्कनहींलियाजायेगा।

(घ) संस्थाद्वाराराज्यसरकारसेकोईअनुदानकीमांगनहींकीजायेगीऔरयदिपूर्वमेंविद्यालयमाध्यमिकशिक्षा परिषदसेमान्यताप्राप्तहैतथाविद्यालयकीसम्बद्धतासेन्ट्रलबोर्डऑफसेकेण्ड्रीएजूकेशननईदिल्ली/काउंसिलफॉरदि इण्डियनस्कूलसर्टिफिकेटएक्जामिनेशन, नईदिल्लीसेप्राप्तहोतीहैतोउक्तपरीक्षापरिषदोंसेसम्बद्धताप्राप्तहोने कीतिथिसेपरिषदसेमान्यताऔरराज्यसरकारसेअनुदानस्वतःसमाप्तहोजायेगी।

1) 2) 3) 4) Pus

(ङ) संस्थाकेशिक्षणएवंशिक्षणेत्तरकर्मचारियोंकीराजकीयसहायताप्राप्तशिक्षणसंस्थाओंके कर्मचारियोंकोअनुमन्यवेतनमानोंतथाअन्यभत्तोंसेकमवेतनमानतथाअन्यभत्तेनहींदियेजायेगें।

(च) कर्मचारियोंकीसेवाशर्तेंबनायीजायेगीऔरउन्हेंसहायताप्राप्तअशासकीयउच्चतरमाध्यमिकविद्यालयोंमेंकर्मचारियोंको अनुमन्यसेवानिवृत्तलाभउपलब्धकरायेजायेगें।

(छ) राज्यसरकारद्वारासमय-समयपरजोभीआदेशनिर्गतकियेजायेगेंसंस्थाउसकापालनकरेगी।

(ज) विद्यालयमेंहिन्दीअनिवार्यविषयकेरूपमेंपढ़ाईजारहीहैतथाभविष्यमेंभीहिन्दीअनिवार्यरूपसेपढ़ाईजायेगी।

(झ) विद्यालयकारिकार्डप्रत्र/पंजिकाओंमेंरखाजायेगा।

(ञ) उपर्युक्तक्रमकसेझमेंकोईपरिवर्तन/संशोधनबिनाशासनएवंविभागकीअनुमतिकेनहींदियाजायेगा।

(ट) उपर्युक्तक्रमकसेजतककेप्रतिबन्धोंकोसोसाइटीकेबाइलॉजमेंसम्मिलितकरनाअनिवार्यहोगा।

महेन्द्र कुमार मिश्र

1) 2) 3) 4) Push

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01570/2023-2024

दिनांक 24/01/2024

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/ALL/13102/2023-2024 पत्रावली संख्या:AL-34428 दिनांक:2013-2014

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **प्रयास, ग्राम-जोखट, पो0 खीरी, वि0ख0 व तहसील-कोरांव, प्रयागराज, 212106** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 998/2013-14 दिनांक-05/12/2013 को दिनांक-05/12/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Kaushalendra Singh)
015D6594289302E6826236A2FFED5869544EBF82
Date: 24/01/2024 6:25:42 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-24/01/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।